



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ०प्र०)

पत्रांक : लो०अ०वि०/कु.स.का./2020-618

दिनांक: 16 अक्टूबर, 2020

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/प्रभारी, आवासीय परिसर।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या से सम्बद्ध महाविद्यालय।

विषय: महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलम्बन के लिये विशेष अभियान संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय /महोदया,


कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 5128/सत्तर-3-2020-08(51)/2020, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020 की संलग्न छायाप्रति का अवलोकन करने का कष्ट करें।

उक्त के सम्बन्ध में अद्यत कराना है कि आगामी नवरात्र की शुभ तिथियों में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये एक "विशेष अभियान" चलाये जाने एवं तदोपरान्त अन्य तदसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में यह अभियान आगामी शारदीय नवरात्र में दिनांक 17.10.2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25.10.2020 तक की अवधि की कार्ययोजना शासन द्वारा तैयार की गई है। शासन द्वारा तैयार की गई कार्ययोजना की छायाप्रति संलग्न (पत्र संख्या 5128/सत्तर-3-2020-08(51)/2020, दिनांक 16 अक्टूबर, 2020) है।

कृपया संलग्न कार्ययोजना के अनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


(उमानाथ)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समन्वयक, महिला शिकायत एवं कल्याण प्रकोष्ठ।
2. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव।
3. अधिष्ठाता छात्र कल्याण।
4. कुलानुशासक।
5. प्रोग्रामर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सूचना को महाविद्यालयों की कालेज-लागिन तथा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
6. मीडिया प्रभारी।
7. समस्त प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक/प्रभारी।
8. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
9. पत्रावली।


(उमानाथ)
कुलसचिव

प्रेषक,

मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
प्रयागराज।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4. विशेष कार्याधिकारी एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी,
राष्ट्रीय सेवा योजना कोषक,
उच्च शिक्षा विभाग।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 16 अक्टूबर, 2020

विषय:—महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये विशेष अभियान संचालित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या-957/6-पु-15-2020, दिनांक 15 अक्टूबर, 2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये एक "विशेष अभियान" चलाये जाने एवं तदोपरान्त अन्य तदसम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में यह अभियान आगामी शारदीय नवरात्र में दिनांक 17.10.2020 से प्रारम्भ होकर दिनांक 25.10.2020 तक की अवधि की कार्ययोजना तैयार की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के पत्र संख्या-5120/सत्तर-3-2020-08(51)/2020, दिनांक 15.10.2020 द्वारा जारी कार्ययोजना में, निम्नलिखित तिथियों के अनुरूप उल्लिखित कार्ययोजना को सम्मिलित करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

दिनांक 17.10.2020

जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ- प्रत्येक जनपद में विशेष अभियान का शुभारम्भ दिनांक 17.10.2020 को मा0 प्रभारी मंत्रीगण द्वारा किया जायेगा एवं समस्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

दिनांक 20.10.2020

- विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा।
- छात्रों और अध्यापकों के लिये जागरूकता कार्यक्रम।
- बाल मनोविज्ञान के सम्बन्ध में समक्ष विकसित करना।

दिनांक 21.10.2020

- साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना।
- लैंगिक हिंसा की रोकथाम।

3- उच्च शिक्षा विभाग में विशेष अभियान के दौरान सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थानों को भी सम्मिलित किया जायेगा एवं समस्त बालक-बालिकाओं की अभियान में सहभागिता अवश्य सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु जनपद स्तर पर विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी।
संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,

16/10/20

(मोनिका एस. गर्ग)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-5128 (1)/सत्तर-3-2020, तददिनांक:

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ०प्र०, लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
4. श्री राजेश चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ०प्र० राज्य उच्च शिक्षा परिषद को इस निर्देश के साथ कि कृपया श्री राजीव पाण्डेय, संयुक्त निदेशक तथा श्री अंशुमालि शर्मा, विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कोष्ठक से सम्पर्क करके प्रतिदिन की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञापित का प्रारूप तैयार करके उपलब्ध करायें।
5. निदेशक, सूचना, उ०प्र०।
6. श्री अभिषेक सिंह, सूचना अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग।

5/2/20
16/8/20

आज्ञा से,


(योगेन्द्र दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

प्रपक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी

मुख्य सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

- 1- अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव,
बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/ प्राविधिक शिक्षा/
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम
उद्यम विभाग/ युवा कल्याण/ महिला कल्याण/ बाल विकास/
कृषि/चिकित्सा शिक्षा/औद्योगिक विकास/ ग्रामीण
विकास/पंचायतीराज/सूचना विभाग/ परिवहन विभाग/नगर
विकास एवं आवास विभाग/ न्याय/ समाज कल्याण विभाग/
श्रम/ संस्कृति/ पशुपालन एवं दुग्ध विकास।
- 2- पुलिस महानिदेशक,
उ०प्र० लखनऊ।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/ पुलिस उपमहानिरीक्षक
उ०प्र०।
- 4- अपर पुलिस महानिदेशक,
बाल एवं सुरक्षा संगठन, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- अपर पुलिस महानिदेशक,
अभियोजन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०
(जनपद बुलन्दशहर, देवरिया, कानपुर नगर, उन्नाव,
जौनपुर, अमरोहा, फिरोजाबाद को छोड़कर)
- 7- पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर,
लखनऊ/समस्त वरिष्ठ पुलिस
अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उ०प्र०।

नि०प्र० (य०ट)

संख्या: 1901 /VIP-PSHED / 2020

50-3

15.10.2020

गृह (पुलिस) अनुभाग-15

लखनऊ: दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020

विषय:- महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए विशेष अभियान संचालित किये जाने के संबंध में।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ०प्र० सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के सन्दर्भ में एक व्यापक कार्ययोजना बनायी गयी है और इस कार्ययोजना के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिए एक विशेष अभियान चलाये जाने का शासन द्वारा निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में उक्त अभियान आगामी शारदीय नवरात्र में दिनांक 17.10.2020 से प्रारम्भ कर दिनांक 25.10.2020 तक की अवधि में (सलग्नक-1) के अनुसार चलाया जाएगा। विशेष अभियान के शुभारम्भ होने के पश्चात् विभिन्न विभागों द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वय द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के सम्बन्ध में विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यद्यपि प्रथम चरण के विशेष अभियान का समापन दिनांक 25.10.2020 को होगा, किन्तु इसके उपरान्त भी उक्त विशेष अभियान अनवरत जारी रहेगा, जिसका अन्तिम रूप से समापन माह अप्रैल, 2020 (वासंतिक

शुभमो देव
के पुत्र आ. आ.
आ. आ. 14 x 20
महोदय,

15 x
(मोनिटरिंग एरर)
अपर मुख्य सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तर प्रदेश शासन
16/10/2020

योगेश दत्त त्रिपाठी)
विशेष सचिव
शिक्षा विभाग
उ० प्र० शासन

50-3
17/10/20

राजेन्द्र कुमार तिवारी
उप सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नवरात्र) में होगा। उक्त विशेष अभियान के संचालन के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित व स्वावलम्बी तथा महिला अपराध व बाल अपराध के सम्बन्ध में जागरूकता पैदा करने हेतु प्रत्येक जनपद के विभिन्न कार्यक्रमों भी आयोजित किये जाएंगे। उक्त विशेष अभियान का नाम "मिशन शक्ति" होगा।

2. उक्त विशेष अभियान कुल 180 दिन तक चलाया जाएगा। विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के 75 जनपदों, 821 ब्लॉकों, 59,000 पंचायतों, 630 शहरी निकायों व 1535 थानों के माध्यम से महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्म निर्भर बनने का प्रशिक्षण, सुरक्षा एवं सम्मान के प्रति जागरूकता प्रदान किये जाने की कार्य योजना है। इसके अतिरिक्त लैंगिक आधारित संवेदीकरण, ध्वनि संदेश, साक्षात्कार, प्रशिक्षण, दुर्गापूजा पण्डालों में कार्यक्रम, थानों पर कार्यक्रम तथा ग्रामीण स्तर पर जागरूकता उत्पन्न किये जाने संबंधी कार्यक्रम सम्पन्न किए जाएंगे। महिलाओं में स्वावलम्बी बनने की प्रक्रिया को बढ़ाया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा विभिन्न स्तरों पर शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के लिये चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों का चयन एवं प्रशिक्षण के कार्यक्रम कराये जायेंगे। पूर्व में प्राप्त हो रहे लाभों का सत्यापन भी कराया जायेगा। शासन के विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी प्रदान किये जाने हेतु महिलाओं/ बालिकाओं के जागरूकता शिविर आयोजित कर उन्हें इन कार्यक्रमों के लाभों के बारे में अवगत कराया जायेगा। एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों का लाभ उठाने के इच्छुक महिलाओं/बच्चों का विवरण दर्ज किया जायेगा तथा उन्हें विभिन्न योजनाओं में लाभ दिलाने हेतु फार्म इत्यादि भरवाकर सम्बन्धित विभाग को भेजा जायेगा तथा विवरण कम्प्यूटराइज करकर अनुश्रवण किया जायेगा।

3. विशेष अभियान में स्थानीय स्तर पर सामाजिक संगठन, विभिन्न महिला संगठनों, मीडिया तथा जागरूक समाज संघियों की एक समिति बनाकर विभिन्न रोल मॉडल का चयन किया जाएगा। ऐसी महिलाओं एवं बालिकाओं का चयन किया जाएगा जोकि विभिन्न क्षेत्रों में समाज के लिए एक प्रेरणा बनी है तथा विशिष्ट क्षेत्रों में उपरोक्त उद्देश्यों के लिए प्रयास कर सफलता पायी हैं। उदाहरण स्वरूप ऐसी महिलाएं एवं बालिकाएं, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों जैसे महिला सशक्तिकरण, भ्रूण-हत्या रोकने सम्बन्धी अभियान, उद्यमिता, शिक्षा, महिला अपराध रोकने इत्यादि इन क्षेत्रों में सफलता पाकर जनपद एवं प्रदेश के लिए रोल मॉडल बनी हैं उनका चयन रोल मॉडल के लिए किया जायेगा। प्रत्येक जनपद से 100 रोल मॉडल का चयन किया जाएगा। विशेष अभियान का उद्देश्य प्रदेश की महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलम्बी बनाना, उनमें सुरक्षित परिवेश की अनुभूति कराना, जन-जागरूकता पैदा करना, आत्म सुरक्षा की कला हेतु प्रशिक्षित करना एवं दुराचारियों की पहचान उजागर करना है। विशेष अभियान में शामिल विभागों के माध्यम से राज्य की समस्त आबादी यथा- 24 करोड़ प्रदेश के नागरिकों (जिसमें महिलाएं एवं बालिकाएं मुख्य रूप से सम्मिलित हैं) को शामिल किया जाएगा। उक्त विशेष अभियान के संचालन हेतु शासन की कार्ययोजना/ दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

1. विशेष अभियान में सम्मिलित प्रत्येक विभाग की एक पृथक कार्ययोजना होगी। प्रत्येक विभाग द्वारा अन्तर्विभागीय समन्वय के माध्यम से अपने विभाग की कार्ययोजना को मूर्त रूप प्रदान किया जाएगा एवं दिनांक 15.10.2020 को अपना शासनादेश अवश्य जारी कर दिया जाएगा।

2. विशेष अभियान के सफल संचालन के निमित्त अभियान में सम्मिलित विभागों के मध्य अन्तर्विभागीय समन्वय हेतु प्रत्येक विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाय। प्रथम चरण में इस अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा द्वितीय चरण में "मिशन शक्ति" के इन्फोसैमेट (क्रियान्वयन) पर बल दिया जाय। सभी संबंधित विभाग "कन्वर्जेन्स मॉडल" के माध्यम से इस विशेष अभियान में सहयोग प्रदान करेंगे।

3. शिक्षा से सम्बन्धित समस्त विभागों (यथा-बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा आदि) द्वारा विशेष अभियान के दौरान सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थानों को भी सम्मिलित किया जाय तथा सभी बालक-बालिकाओं की अभियान में सहभागिता अवश्य सुनिश्चित की जाए। इस हेतु जनपद स्तर पर कार्यरत जनपदीय अधिकारियों, यथा- बेसिक

शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक व अन्य अधिकारियों तथा सम्बन्धित संस्था के प्राचार्य की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।

4. नवरात्र के दौरान बने पूजा स्थलों/पण्डालों में लघु फिल्मों के माध्यम से एवं गांव-गांव नुक्कड़ नाटक, (जिसके द्वारा भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों को रोकने से संबंधित संदेश हर परिवार तक पहुंचे) का आयोजन किया जाए, जिससे कि व्यापक जनजागरण हो। पूजा-पण्डालों एवं रामलीला समिति को अनापत्ति प्रमाण पत्र तदनुसार जिला प्रशासन द्वारा जारी किया जाए।
5. एल0ई0डी0 वैन व पब्लिक एड्रेस सिस्टम का वृहद उपयोग कन्या भ्रूण हत्या आदि कुरीतियों को रोकने हेतु किया जाए।
6. विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय तथा अच्छी सक्सेज स्टोरीज एवं आर्टिकिल्स का प्रकाशन किया जाए।
7. महिला एवं बाल अपराध की मनीटरिंग हेतु जनपद स्तर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में मनीटरिंग कमेटी गठित है, जिसकी कोविड-19 के पूर्व प्रतिमाह नियमित बैठक होती थी और उक्त अपराधों से संबंधित वादों के निस्तारण में प्रदेश का प्रथम स्थान है। अतः पुनः अब जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा उक्त मनीटरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 16.10.2020 के पहले आयोजित कराकर पॉक्सो व महिला अपराध से संबंधित वादों के मा0 न्यायालय से निस्तारण की प्राथमिकता दी जाए। इस संबंध में महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से भी शासन द्वारा पत्र भेजकर अनुरोध किया गया है। प्रत्येक अभियोजन अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए तथा प्रत्येक मामले में समयबद्ध रूप से चार्जशीट दाखिल कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
8. नारी सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राप्त शिकायतों में पीड़िता/शिकायतकर्ता की पूर्ण संतुष्टि के स्तर तक कार्यवाही को गतिमान रखा जाए।
9. पुलिस विभाग के अन्तर्गत 1090 एवं यू0पी0 112 द्वारा एकसाथ मिलकर पीड़ित की शिकायतों का प्रभावी ढंग से निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए और पीड़ित महिला/बालिका की संतुष्टि तक कार्यवाही जारी रखी जाए। पुलिस विभाग की हेल्पलाइन 181 को भी यू0पी0 112 से जोड़ा जाए तथा महिलाओं से आने वाले काल्स को मनीटर किया जाए।
10. प्रत्येक थाने में "महिला हेल्प डेस्क" स्थापित किया जाना एक सुन्दर पहल है और इसे राज्य के समस्त 1535 थानों में स्थापित किये जाने की कार्यवाही की जाए। प्रत्येक थाने में "एण्टी रोमियो स्क्वाड" द्वारा अभियान चलाया जाए।
11. विशेष अभियान को और अधिक प्रभावी एवं व्यापक बनाये जाने हेतु इच्छित निजी संस्थाओं तथा जनपदों में उपलब्ध संस्थाओं को जोड़ा जाए। साथ ही व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैंकिंग संस्थान, चिकित्सालय व अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में होने वाली जनसामान्य के एकत्रित होने के दृष्टिगत अभियान की कार्ययोजना/संचालन सुनिश्चित कराया जाए।
12. स्थानीय निकायों में विशेष अभियान के कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार डिस्प्ले बोर्ड के माध्यम से एवं प्रचार के अन्य माध्यमों द्वारा किया जाए तथा इस विशेष अभियान में विकास प्राधिकरणों को भी जोड़ा जाए।
13. जनपद स्तर पर स्थापित विद्यालयों, थानों, नगर निगमों व अन्य स्थानीय निकायों एवं विकास प्राधिकरणों तथा पंचायतों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों की समीक्षा हेतु एक पोर्टल/ मैकेनिज्म तैयार किया जाए तथा उनकी साप्ताहिक, पाक्षिक एवं राज्य स्तर पर मासिक समीक्षा की व्यवस्था बनायी जाए।

14. राज्य स्तर पर निदेशक, सूचना विभाग द्वारा विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार/प्रसारण सुनिश्चित कराया जाए। जनपदों के जिला सूचना अधिकारियों को इस आशय के निर्देश निर्गत किये जावें कि उनके द्वारा जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग से समन्वय कर तथा जिलाधिकारी से सम्पर्क कर विभागों के अच्छे कार्यों का मीडिया में प्रसारण कराया जाए। प्रत्येक विभाग द्वारा अपने अच्छे कार्य का वीडियो बनाया जाए व स्टोरी के माध्यम से उसका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए।
15. प्रत्येक जनपद में विशेष अभियान का शुभारम्भ दिनांक 17.10.2020 को मा0 प्रभारी मंत्रीगण द्वारा किया जाएगा एवं समस्त जनपदीय अधिकारियों द्वारा इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होकर सभी विभागों का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया जाए।
16. प्रत्येक जनपद में विशेष अभियान के पर्यवेक्षण व अनुश्रवण हेतु जनपदवार (संलग्न सूची के अनुसार) महिला नोडल अधिकारी को नामित किया गया है। नोडल अधिकारी दिनांक 16.10.2020 को ही अपने प्रभार के जनपद में उपस्थित होकर अगले तीन दिवस जनपद में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे व जनपद स्तर पर अन्तर्विभागीय समीक्षा की बैठक में भी भाग लेकर विशेष अभियान को सफल बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। उक्त के साथ-साथ नोडल अधिकारी जनपद में विभिन्न स्तर के विद्यालय व थाने विशेष रूप से महिला थाना, कुछ ग्राम पंचायत, औद्योगिक व व्यावसायिक संस्थान आदि का भी निरीक्षण कर इस अभियान को गति देंगे। जनपद स्तर पर पॉक्सो व महिला अपराधों के निस्तारण व "ऑपरेशन शक्ति" का भी अनुश्रवण करेंगे। शासन द्वारा पूर्व से नामित वरिष्ठ नोडल अधिकारी इस अवधि में दो दिन जिले में जाकर इस अभियान के कार्यों का अनुश्रवण करेंगे।

उपरोक्तानुसार विशेष अभियान के सफल संचालन के निमित्त समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त अपने स्तर पर दिनांक 15.10.2020 को एवं समस्त मण्डलायुक्त/पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0 द्वारा अपने स्तर पर समस्त विभागों के साथ एक समन्वय/समीक्षा बैठक दिनांक 16.10.2020 को अवश्य कर ली जाए। विशेष अभियान की अवधि में किए गए कार्यक्रमों एवं कार्यों का प्रगति विवरण, फोटोग्राफ/वीडियो सहित अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग एवं अपर मुख्य सचिव, सूचना विभाग को प्रेषित किया जाए।

- संलग्नक-1- प्रस्तावित 10 दिन का कार्यक्रम।
 2- मिशन शक्ति का प्रस्तुतीकरण।
 3- नोडल महिला अधिकारियों की सूची।



 (राजेन्द्र कुमार तिवारी)
 मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-15
क्र संख्या: 959/6पु-15-2020
लखनऊ दिनांक: 15 अक्टूबर, 2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
5. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,



(अवनीश कुमार अवस्थी)

अपर मुख्य सचिव।

S.no	Date	Name	Theme	Participants	Implementing Agency
1	17-Oct-20	पहला दिन: जागरूकता कार्यक्रम का शुभारम्भ - 17 अक्टूबर	1. गैरशक्ति का विक्रम स्टार्ट एवं पुलिस विभाग की कतिपय योजनाओं का लोकार्पण।	सभी भाग लेने वाले विभाग	1. पुलिस विभाग 2. बलरामपुर प्रशासन।
2	18-Oct-20	ग्राम प्रधान, शहरी स्थायी निकाय, किसान और मजदूर	1. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लैंगिक संवेदीकरण, महिला और बाल सुरक्षा हेतु रोवेदनशीलता लाना। 2. लैंगिक हिंसा की रोकथाम। 3. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राणी ग्राम प्रधानों/शहरी निकायों को पत्र।	1. ग्राम प्रधान और शहरी स्थानीय निकाय। 2. शहरी मलिन यस्ती के निवासी। 3. किसान और श्रमिक।	1. पंचायतीराज विभाग और नगर विकास विभाग। 2. कृषि विभाग एवं श्रम विभाग।
3	19-Oct-20	3-ए	1. शक्तिपरी 2. लैंगिक समानता। 3. लैंगिक हिंसा की रोकथाम। 4. पीड़ित को सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाना।	आंगनवाड़ी, आशा और एएनएम कार्यकर्त्री	1. स्वास्थ्य विभाग। 2. बाल विकास एवं पुष्टाहार।
4	20-Oct-20	शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक	1. विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा। 2. छात्रों और अध्यापकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम। 3. बाल मनोविज्ञान के सम्बन्ध में समझ विकसित करना।	अध्यापक एवं छात्र-छात्राएं	बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5	21-Oct-20	किशोर एवं युवा	1. साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक करना। 2. लैंगिक हिंसा की रोकथाम।	एनएसएस, भारत स्काउट एवं गाइड, एनसीसी, युवा मण्डल दल और स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राएं।	1. उच्च शिक्षा विभाग। 2. युवा कल्याण विभाग। 3. महिला कल्याण विभाग।
6	22-Oct-20	यात्रा के दौरान सुरक्षा	1. महिला यात्रियों के प्रति अच्छा व्यवहार करना। 2. यात्रा के दौरान महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा।	उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, ओला, उबर, आटो और टैम्पों के चालक और परिचालक।	परिवहन विभाग।

7	23-Oct-20	कार्पोरेट हाउस, एशएमई एसोसिएशन एवं व्यावसायिक संस्थान।	<ol style="list-style-type: none"> 1. कार्य स्थलों पर उत्पीड़न को रोकथाम। 2. लैंगिक समानता और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा। 	व्यावसायिक संस्थान, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संगठन एवं कार्पोरेट्स	<ol style="list-style-type: none"> 1. औद्योगिक विभाग। 2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम एवं मध्यम विभाग
6	24-Oct-20	उत्तर प्रदेश पुलिस का मानवीय चेहरा	<ol style="list-style-type: none"> 1. यगनू के प्रति जागरूकता। 2. मित्र पुलिस। 	<ol style="list-style-type: none"> 1. आम जनमानस। 2. पीआरवी। 3. थाना। 	पुलिस विभाग
9	25-Oct-20	नयी पहल	थानों पर हेल्प डेस्क का शुभारम्भ।		पुलिस विभाग

विभिन्न जनपदों में तैनात महिला अधिकारियों की जनपदवार सूची/प्रस्तावित नोडल अधिकारी

क्र० सं०	जनपद	जनपद में तैनात आई०ए०एस०/आई०पी०एस० अधिकारी				जनपद के लिए प्रस्तावित नोडल अधिकारी
		मण्डलायुक्त (आई०ए०एस०)	जिलाधिकारी (आई०ए०एस०)	मुख्य विकास अधिकारी (आई०ए०एस०)	पुलिस अधिकारी	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आगरा			जे० रीभा	पूनम, कमाण्डेंट, 15वीं पी०ए०सी० (जनपद के लिए प्रस्तावित)	जे० रीभा, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, आगरा
2.	फिरोजाबाद			नेहा जैन		नेहा जैन, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद
3.	मैनपुरी			ईशा प्रिया		ईशा प्रिया, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, मैनपुरी
4.	मथुरा				आरती सिंह, ए०एस०पी०	सौम्या अग्रवाल, आई०ए०एस०, प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम, आगरा

5.	प्रयागराज					डा० रोशन जैकब, आई०ए०एस०, सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ०प्र० शासन
6.	कौशम्बी					आर्यका अखौरी, आई०ए०एस०, विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन
7.	फतेहपुर					दीपा रंजन, आई०ए०एस०, अपर आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
8.	प्रतापगढ़					प्रतिभा अम्बेडकर, आई०पी०एस० एस०पी०, तकनीकी सेवायें, लखनऊ
9.	कानपुर नगर					अमृता सोनी, आई०ए०एस०, आयुक्त, वाणिज्यकर विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

10.	कानपुर देहात				सुजाता शर्मा, आई०ए०एस०, विशेष सविच, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन
11.	इटावा		श्रुति सिंह		श्रुति सिंह, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, इटावा
12.	औरैया			सुनिति, पुलिस अधीक्षक	सुनिति, आई०पी०एस०, पुलिस अधीक्षक, औरैया
13.	फर्रुखाबाद				ख्याति गर्ग, आई०पी०एस० डी०सी०पी०, लखनऊ
14.	कन्नौज				पूनम, आई०पी०एस०, कमाण्डेंट, 15वीं पी०ए०सी०, आगरा
15.	अयोध्या				पद्मजा चौहान, आई०पी०एस०, आई०जी०, ए०डी०जी०, पी०एस०आर० एण्ड पी०वी०, लखनऊ

16.	अम्बेडकरनगर				रावीप कौर, आई०ए०एस०, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उ०प्र० शासन
17.	बाराबंकी			मेधा रूपम	मेधा रूपम, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी
18.	सुल्तानपुर				किंजल सिंह, आई०ए०एस०, निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
19.	अमेठी			डा० अंकुर लाठर	डा० अंकुर लाठर, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, अमेठी
20.	गोरखपुर				मनीषा त्रिघाटिया, आई०ए०एस०, आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ
21.	देवरिया				मंजू लता, पी०सी०एस०, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त

						शाखा, उ०प्र० शासन
22.	महाराजगंज					चारु निगम, आई०पी०एस०, डी०सी०पी०, लखनऊ
23.	कुशीनगर			अन्नपूर्णा गर्ग		अन्नपूर्णा गर्ग, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, कुशीनगर
24.	झांसी					मिनिस्ती एस०, आई०ए०एस०, महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ०प्र०, लखनऊ
25.	जालौन					रवीना त्यागी, आई०पी०एस०, पुलिस अधीक्षक, सी०बी०सी०आई०डी०, कानपुर
26.	ललितपुर					पूनम निगम, पी०सी०एस०, अपर आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी

27.	बांदा					पुष्पांजलि देवी, आई०पी०एस०, डी०आई०जी० रेलवे, लखनऊ
28.	चित्रकूट					वन्दना त्रिपाठी, पी०सी०एस०, सचिव, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रयागराज
29.	हमीरपुर					प्रियंका निरंजन, आई०ए०एस०, विशेष सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र० शासन
30.	महोबा					चित्रलेखा सिंह, पी०सी०एस०, अपर आयुक्त, उद्योग निदेशालय, कानपुर नगर
31.	गोण्डा					माला श्रीवास्तव, आई०ए०एस०, विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन
32.	बहराइच			कविता मीना		कविता मीना, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच

33.	बलरामपुर				शुभ्रा सक्सेना, आई०ए०एस० विशेष सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
34.	श्रावस्ती				सी० इन्दुमती, आई०ए०एस०, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन
35.	सहारनपुर				कंचन वर्मा, आई०ए०एस०, उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद
36.	मुजफ्फरनगर		सेल्वा कुमारी जे०		सेल्वा कुमारी जे०, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर
37.	शामली		जसजीत कौर		जसजीत कौर आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, शामली
38.	लखनऊ			1. रेणुका मिश्रा, ए०डी०जी०, पी०एस०आर० एण्ड पी०वी० (जनपद के	रेणुका मिश्रा, आई०पी०एस०, ए०डी०जी०, पी०एस०आर० एण्ड पी०वी०, लखनऊ

लिए प्रस्तावित)

2. पद्मजा चौहान,
आई0जी0,
ए0डी0जी0,
पी0एस0आर0 एण्ड
पी0वी0(जनपद के
लिए प्रस्तावित)

3. लक्ष्मी सिंह,
आई0जी0, लखनऊ
(जनपद के लिए
प्रस्तावित)

4. पुष्पांजलि देवी,
डी0आई0जी0 रेलवे
(जनपद के लिए
प्रस्तावित)

5. साधना गोस्वामी,
डी0आई0जी0, पावर
कारपोरेशन (जनपद
के लिए प्रस्तावित)

6. प्रतिभा
अम्बेडकर, एस0पी0,
तकनीकी सेवार्ये
(जनपद के लिए
प्रस्तावित)

7. शालिनी,
डी0सी0पी0, लखनऊ
(जनपद के लिए
प्रस्तावित)

8. सुजाता सिंह,
कमाण्डेंट, 32वीं
पी0ए0सी0 (जनपद
के लिए प्रस्तावित)

9. ख्याति गर्ग,
डी0सी0पी0, लखनऊ
(जनपद के लिए
प्रस्तावित)

10. चारु निगम,

					डी0सी0पी0, लखनऊ (जनपद के लिए प्रस्तावित) 11. पूजा यादव, डी0सी0पी0, लखनऊ 12. प्राची सिंह, ए0सी0पी0, लखनऊ	
39.	हरदोई			निधि गुप्ता वत्स		निधि गुप्ता वत्स, आई0ए0एस0, मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई
40.	लखीमपुर खीरी					लक्ष्मी सिंह, आई0पी0एस0, आई0जी0, लखनऊ
41.	रायबरेली					नीना शर्मा, आई0ए0एस0 सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, उ0प्र0 शासन, लखनऊ
42.	सीतापुर					अपर्णा यू0, आई0ए0एस0, सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।

43.	उन्नाव					पूजा पाण्डेय, आई०ए०एस० निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
44.	मेरठ	अनीता सी० मेश्राम				अनीता सी० मेश्राम, आई०ए०एस०, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ
45.	गौतमबुद्धनगर				<p>1. श्रीपर्णा गांगुली, ए०सी०पी०(अपराध) (जनपद के लिए प्रस्तावित)</p> <p>2. डा० मीनाक्षी, डी०सी०पी० (जनपद के लिए प्रस्तावित)</p> <p>3. वृन्दा शुक्ला, डी०सी०पी०, (जनपद के लिए प्रस्तावित)</p> <p>4. श्रद्धा नरेंद्र,</p>	रितु माहेश्वरी, आई०ए०एस०, सी०ई०ओ०, नोएडा

					ए०सी०पी० 5. अंकिता शर्मा, ए०सी०पी०	
46.	बागपत		शकुन्तला गौतम			शकुन्तला गौतम, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, बागपत
47.	बुलन्दशहर					भारती सिंह, आई०पी०एस०, कमाण्डेंट, 41वीं पी०ए०सी०, गाजियाबाद
48.	गाजियाबाद			अस्मिता लाल	भारती सिंह, कमाण्डेंट, 41वीं पी०ए०सी० (जनपद के लिए प्रस्तावित)	अस्मिता लाल, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद
49.	हापुड़		अदिति सिंह			अदिति सिंह, आई०ए०एस० जिलाधिकारी, हापुड़
50.	बरेली					डा० सारिका मोहन, आई०ए०एस०, निदेशक, बाल विकास पुष्ताहार विभाग, उ०प्र०, लखनऊ

51.	बदायूं			निशा		निशा, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, बदायूं।
52.	पीलीभीत					अर्चना वर्मा, आई०ए०एस०, उपाध्यक्ष, हापुड़-पिलखुआ विकास प्राधिकरण, हापुड़
53.	शाहजहांपुर				अपर्णा गौतम, ए० एस०पी० (आर०ए०)	प्रेरणा शर्मा, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर
54.	मुरादाबाद				पूनम श्रीवास्तव, डी०आई०जी०, बीआरएपी एकेडमी	पूनम श्रीवास्तव, आई०पी०एस० डी०आई०जी०, बीआरएपी एकेडमी, मुरादाबाद।
55.	अमरोहा					डा० मीनाक्षी, आई०पी०एस०, डी०सी०पी०, गौतमबुध नगर।
56.	रामपुर			गजल भारद्वाज		गजल भारद्वाज, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, रामपुर।

57.	बिजनौर					श्रीपर्णा गांगुली, आई०पी०एस०, ए०सी०पी०(अपराध), गौतमबुध नगर।
58.	सम्भल					यशु रस्तोगी, आई०ए०एस०, उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद
59.	वाराणसी					डा० काजल, आई०ए०एस०, निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ
60.	चन्दौली					सुधा वर्मा, आई०ए०एस०, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, लखनऊ
61.	जौनपुर					संगीता सिंह, आई०ए०एस०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, लखनऊ।

62.	गाजीपुर					अर्चना गहरवार, पी०सी०एस०, सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, लखनऊ
63.	आजमगढ़					साधना गोस्वामी, आई०पी०एस०, डी०आई०जी०, उ०प्र० पावर कारपोरेशन, लखनऊ
64.	बलिया					शालिनी, आई०पी०एस० डी०सी०पी०, लखनऊ
65.	मऊ					गरिमा यादव, आई०ए०एस०, विशेष सचिव, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ
66.	मीरजापुर	प्रीती शुक्ला				प्रीती शुक्ला, आई०ए०एस०, आयुक्त, विन्ध्याचल मण्डल, मिर्जापुर।
67.	भदोही					कृतिका ज्योत्सना, आई०ए०एस०, सी०ई०ओ०, भदोही औद्योगिक विकास

					प्राधिकरण, भदोही
68.	सोनभद्र				सुजाता सिंह, आई०पी०एस०, कमाण्डेंट, 32वीं पी०ए०सी०, लखनऊ
69.	बस्ती			सरनीत कौर ब्रोका	सरनीत कौर ब्रोका, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, बस्ती
70.	सन्तकबीरनगर		दिव्या मित्तल		दिव्या मित्तल, आई०ए०एस०, जिलाधिकारी, सन्त कबीर नगर।
71.	सिद्धार्थनगर				मंजू लता, पी०सी०एस०, विशेष सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा, उ०प्र० शासन
72.	अलीगढ				श्रुति, आई०ए०एस० अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोयडा

73.	हाथरस					नेहा शर्मा, आई०ए०एस०, ए०सी०ई०ओ०, नोएडा
74.	कासगंज					वृन्दा शुक्ला, आई०पी०एस०, डी०सी०पी०, गौतमबुध नगर।
75.	एटा					डा० कंचन सरन, आई०ए०एस०, अपर आयुक्त, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़